न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

---

प्रकरण संख्या– 32/2020 वाद जी.सी.एम.एस./2020/00057 दिनांकः– 17.10.23

मूलचन्द पिता श्री भेरा जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा मृतक के बजायः–
1/1– रमेश चन्द्र पिता मूलचन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा
1/2– विनोद कुमार पिता मूलचन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा
1/3– श्रीमति बसन्ती पिता मूलचन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा हाल निवास भीण्ड़र
1/4– श्रीमति सज्जन पिता मूलचन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा हाल निवास भीण्ड़र
1/5– श्रीमति नर्बदा बाई पत्नि स्व0 मूलचन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा
तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

–वादीगण

।।बनाम।।

1. भगवतीलाल पिता किशोर जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा हाल निवास इन्दिरा कॉलोनी, बड़ीसादडी तहसील बडीसादडी
2. कमलाशंकर पिता मथुरालाल जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा तहसील बडीसादडी
3. शान्तिलाल पिता मथुरालाल जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा तहसील बडीसादडी
4. श्रीमति दमयन्ती पिता मथुरालाल पत्नी श्री जयन्त ब्राह्मण निवासी अमीरामा हाल निवास–भीण्ड़र तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमति प्यारीबाई पत्नी स्व. मथुरालाल ब्राह्मण निवासी अमीरामा (नाम हटाया गया)
6. प्रेमशंकर पिता राधाकिशन जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा हाल निवास–कानोड़ तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री नरेश पिता राधाकिशन जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा हाल निवास – कानोड़ तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमति कौशल्या पिता राधाकिशन जी, पत्नी स्व. मोहनलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा हाल निवास– नरपत की खेड़ी तहसील चित्तौडगढ
9. श्रीमति मुन्ना पिता राधाकिशन जी, पत्नी सुरेश जी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा हाल निवास–कानोड़ तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमति मधु पिता राधाकिशन जी, पत्नी श्री प्रमोद जी जोशी जाति ब्राह्मण निवासी अमीरामा हाल निवास–कानोड़ तहसील कानोड़ जिला उदयपुर
11. श्रीमान् उप–पंजीयक महोदय,उप पंजीयक कार्यालय तहसील बड़ीसादड़ी(राज.)
12. श्री राज्य सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार तहसील बड़ीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:49:49 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 2[illegible] आर.टी. एक्ट

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

## ।। निर्णय ।।

उपस्थित :–

श्री अनिल सोनावा अधिवक्ता वादी

श्री ऋषि लव मुणेत,एस.एम.माजिद, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी मूलचन्द ने वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188,209 आर.टी.एक्ट के तहत इस आश्य का पेश किया कि ग्राम अमीरामा पटवार सर्कल अमीरामा तहसील बड़ीसादड़ी की आराजी खसरा नं. 1062 रकबा 0.2200 हे. लगानी 7.26 रूपया भूमि में प्रतिवादी क्रमांक 1 भगवतीलाल का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीक्रमांक 2 से लगायात् 5 का संयुक्त 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 6 से 'लगायात् 10 के मृतक पिता राधाकिशन जी का 1/3 हिस्सा दर्ज है एवं खतोनी संख्या नई 41 की आराजी खसरा नं. 1055 रकबा 0.1400 है0 लगानी 4.62 रूपया, आराजी नं. 1059 रकबा 0.1000है0 लगानी 0.30 रूपया कुल किता 2 कुल रकबा 0.2400है0 भूमि कुल लगानी 4.92 रूपया भूमि में प्रतिवादी क्रमांक 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 5 का 1/4 हिस्सा दर्ज है वो व खतोनी संख्या नई 233 की आराजी खसरा नं. 1064 रकबा 0.1600है0 भूमि मे से प्रतिवादी क्रमांक 01 भगवतीलाल का 1/2 हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में अंकित होकर वादग्रस्त आराजीयात् को प्रतिवादी क्रमांक 1 भगवतीलाल व प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 के पिता तथा प्रतिवादी क्रमांक 5 के पति स्व. मथुरालाल जी के द्वारा बिल एवज् 6250/–रू. अक्षरे छ:हजार दो सौ पचास रूपया में सम्वत् 2030 का आसोद सुदी 13 को वादी को विक्रय करके आराजी का कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया था, वक्त खरीद से वादी वादग्रस्त खरीदशुदा भूमि पर बहैसीयत मालिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के विक्रय की राशि का भुगतान वादी ने विक्रेता श्री भगवतीलाल, एवं स्व0 मथुरालाल जी को नगद कर दिया था तथा विक्रेता श्री भगवतीलाल एवं स्व0 श्री मथुरालाल जी के द्वारा वादग्रस्त आराजी को विक्रय करना एवं विक्रय मूल्य प्राप्त करना स्वीकार किया था। विक्रेता खातेदार श्री भगवतीलाल, एवं मथुरालाल जी के द्वारा इस विक्रय का करार की लिखतम भी बही में निष्पादित की जिसकी लिखतम प्रतिवादी कमांक 01 भगवतीलाल ने स्वयं अपनी हस्तलिखी से लिखकर अपने एवं मथुरालाल जी के हस्ताक्षर कराकर विक्रेता ने लिखतम को वादी को सिपुर्द की जो वादी के पास सुरक्षित है (जिसकी फोटों प्रति संलग्न है)। आराजी के विक्रेता श्री भगवतीलाल एवं श्री मथुरालाल जी के द्वारा विक्रय इकरार में आराजी के पड़ौस भी अंकित करवा कर पूर्ण मालिक वादी को कर दिये थे जो इस प्रकार है पूर्व–आम रास्ता भोपा खेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:49:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

का, पश्चिम–आपके खुद का खेत, उत्तर–भाई जमनालाल जी रा खेत, दक्षिण–भाई बाबरलाल के खेत की खेत दुसरा पड़ौस – पूर्व – भोपा खेड़ा रो आम रास्ता, पश्चिम– भाई जमनालाल के खेत री, उतर – ग्यारसी लाल जी के खेत री, दक्षिण – भाई जमनालाल जी रा खेत रो, इन चारो मेरा बचला दोनों खेत जो मेरे खाते दर्ज है आपके बेचाव बिड़ा, पड़त, धड़त, सहित कर दिया जो सही सनद रहे। जोगवे जो भोगजो कमावजो बेच जो, हासिल आवे जो देता रिज्यो का करार अंकित कर वादी से विक्रय राशि प्राप्त करके कब्जा वादी को सिपुर्द किया। उक्त पड़ोसों बिच की आराजीयात् के हाल आराजी नं. वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित है जिस पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला रहा है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1062 रकबा 0.2200 है0 (सम्पूर्ण) भूमि एवं आराजी खसरा नं. 1064 रकबा 0.1600है0 भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि बंटवाड़े से प्रतिवादी क्रमांक 1 भगवतीलाल जी के हक हिस्से में रखी इस पर इनका ही कब्जा चला आ रहा था लेकिन राजस्व कर्मियों ने इन आराजीयात् स्व0 राधाकिशन जी एवं स्व0 मथुरालाल जी का नाम गलती से दर्ज कर दिया था जबकी इन दोनों का इन आराजीयात् में कोई हक हिस्सा नही होकर कब्जा नही था, विभाजन से अन्य आराजीयात् मथुरालाल जी, राधाकिशन जी को दे दी थी, स्वर्गवास मथुरालाल जी का स्वर्गवास हो गया है जिनके विधिक वारिसान् प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 तथा स्व0 राधाकिशन जी का स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिस प्रतिवादी कमांक 6 से लगायात् 10 है। वादग्रस्त आराजीयात् वर्तमान में प्रतिवादी कमांक 01 से लगायात् 10 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकी वक्त खरीद से वादी उक्त आराजीयात् पर काबिज होकर उसका उपयोग – उपभोग करता चला रहा है वादग्रस्त आराजीयात् की खातेदारी की घोषणा वादी अपने नाम पर कराने का कानूनन अधिकारी है।वादी का वादग्रस्त आराजीयात् पर लगातार 12 वर्षो से भी अधिक समय से आज तक निरन्तर कब्जा चला आ रहा है इसलिए यदि वादग्रस्त आराजीयात् में प्रतिवादीगण का कोई हक था भी तो वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1)(4) के अन्तर्गत समाप्त हो चुका है तथा वादी बाई एडवस पजेशन से कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुका है। इसलिए वादग्रस्त आराजीयात् वादी की खातेदारी में घोषित की जाना न्यायोचित है।वादग्रस्त आराजीयात् को वादी ने वैध अन्तरण के जरिये खरीद की, विक्रय की सम्पूर्ण राशि विक्रेता को अदा की विक्रेता द्वारा विक्रय इकरार में पड़ौस अंकित कर सभी अधिकार क्रेता को हस्तान्तरित किये विधिवत् कब्जा वादी को सिपुर्द किया जिससे वादी वादग्रस्त आराजीयात् की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात् पर वादी वक्त खरीद से काबिज चला आ रहा है तथा उस पर काबिज होकर उसका उपयोग –उपभोग करता चला रहा है, प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गई है वो वादी के कब्जे काश्त की भूमि में दखल अन्दाजी करते है तथा वादी को वादग्रस्त आराजीयात् से बेदखल करने का असफल प्रयास करते है। वादग्रस्त आराजीयात् राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है जिसका प्रतिवादीगण अपने निजी फायदे के लिये उसको खुर्द बुर्द करने पर आमदा है तथा उसको अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करने की वादी को धमकी दे रहे है यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण कर देगे तो वादी द्वारा वैध रूप से क्रय की गई व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगा ... प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात ... किसी भी भू – भाग में दखल अन्दाजी नही करे ना करावे तथा वादग्रस्त आराजीयात को किसी भी प्रकार से रहन, बय,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:49:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

बक्षीश तथा अन्य हस्तान्तरण के माध्यम से हस्तान्तरित नही करे ना करावे मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाई रखे।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार डिग्री सादिर फरमाई जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। बरौज पेशी प्रतिवादी नं. 1, 5, 6, 7, 9, 10 ने जरिये अधिवक्ता एस.एम. माजिद व प्रतिवादी न. 03 की ओर से अधिवक्ता ऋषिलव मुणेत ने वकालतनामा पेश कर इकबालीया जवाब प्रस्तुत किया,तथा शेष प्रतिवादी नं. 2, 4, 8, 11, 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। दौरान् वाद के वादी मूलचन्द की मृत्यु हुई जिससे उनके वारिसान् उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित हुये, एवं प्रतिवादी कमांक 5 प्यारी बाई की मृत्यु हो जाने से नाम तर्क किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। शहादत वादी में वादी विनोद कुमार का शपथ पत्र पी.डब्लू 1,व गवाह–कमला शंकर चौबीसा का शपथ पत्र पी.डब्लू 2, बद्रीलाल चौबीसा का शपथ पत्र पी.डब्लू 3, मोहनलाल डांगी शपथ पत्र पी.डब्लू 4 के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादी मूलचन्द जी ने सम्वत् 2030 में वादग्रस्त आराजीयात् को जरिये बिकावनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया,जिसके विकय का मूल्य वादी ने प्रतिवादीगण को अदा किया वादग्रस्त आराजीयात् को वादी ने सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो के तहत खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा उस पर निर्बाध निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा,तथा प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादी का वाद डिकी किये जाने में आपत्ति नही है अंकित कि जिससे भी साबित होता है कि वादग्रस्त आराजीयात् वादी ने प्रतिवादीगण से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया वादी ने बहस में बताया कि जब कोई व्यक्ति बिकाव के जरिये अपनी सम्पति का हस्तान्तण कर देता है तो उसका बिकाव की तिथि से उस आराजी पर कोई स्वत्व एवं अधिकार नही रहा है तथा गवाह कमलाशंकर ने भी बिकावनामें की पुष्टि कर वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर कराने का कथन अपने बयान में किया तथा अन्य गवाह बद्रीलाल चौबीसा एवं मोहनलाल डांगी के बयानों में भी वादग्रस्त आराजीयात् पर वादी का कब्जा साबित होता है इसलिये वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी ग्राम अमीरामा के जमाबन्दी खाता संख्या 42, 41, 233की आराजीयात् को वादी के विधिक वारिसान् के नाम पर खातेदारी में घोषित कराई जावे तथा वादी का वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन कि अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर चिन्तन व मनन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों–प्रदर्श–1 जमाबन्दी खाता संख्या 42,41,233 की नकल एवं प्रदर्श–2 बिकावनामा अनुसार वादग्रस्त आराजीयात् को वादी ने सं. 2030 में बिल एवज् 6250 रू. में भगवतीलाल, मथुरालाल से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसकी पुष्टि प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाब एवं प्रतिवादी कमांक 3 कमलाशंकर के बयानों से सिद्ध होता है कि वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:49:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

वादग्रस्त आराजीयात् को प्रतिवादीगण से खरीद की एवं कब्जा प्राप्त किया तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने इनके इकबालिया जवाब में बताया कि सम्वत् 2030 को बिकाव नामा बही ने उन्होने ही हस्तलिपी से लिखा तथा भूमि को विक्रय करना एवं विक्रय राशि प्राप्त करना स्वीकार किया है। वादी के अभिवचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध प्रतिवादीगण के द्वारा उपस्थित होकर लेश मात्र भी खण्ड़न नही किया गया हैं। ऐसी सुरत में वादी की साक्ष्य अखण्ड़ित रहती है और उस पर अविश्वास का कोई आधार प्रतीत नहीं होता हैं। इस प्रकार वाद पत्र को डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम अमीरामा की आराजी खसरा नं. 1062 रकबा 0.22 हैक्टर आराजी न. 1055 रकबा 0.14 हैक्टर आराजी न. 1059 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 03 रकबा 0.46 हैक्टर सम्पुर्ण वादीगण के नाम एवं 1064 रकबा 0.16 हैक्टर का 1/2 हिस्सा भगवतीलाल के बजाय वादीगण के नाम खातेदारी में घोषित की जाती है। इसी आश्य का पर्चा डिग्री अलग से मुर्तिब किया जावें। धारा 188 की दाद खारिज की जाती हैं।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर आज दिनांक 17.10.2023 को सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत) R.A.S.
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:49:49 IST
Reason: SelfAttested